

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/विविध-07-69/2013..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हरेन्द्र सिंह जे 5386/ 01.02.54/ समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-01, राँची	07.02.79	07.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/ कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमंडल सं.-01, राँची/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 7172 राँची, दिनांक :- 30/11/13
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / विविध-07-76 / 13..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.09 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय आदेश संख्या-6674 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी.बी.-III ग्रेड पे क्रमशः 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम कार्यालय का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण पी.बी.-III वेतनमान 15600- 39100 ग्रेड पे 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री बशिष्ठ नारायण सिंह/ जे 6831/30.01.51/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, देवघर	20.02.79	20.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- 7173 राँची, दिनांक :- 30-11-13

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, देवघर को श्री बशिष्ठ नारायण सिंह कनीय अभियंता का सेवा पुस्त तीन भाग मूल के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

7/73

राँची, दिनांक :-

30-11-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

30/11/13

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/विविध-07-73/2013..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ACP योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	आदेश का प्रसंग	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3		4	5
1	श्री ओम प्रकाश सिंह जे 8934/02.09.64/ लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा	13.10.88	4063/ 04.11.10	13.10.2000	

2. इन कनीय अभियंताओं के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. ए.सी.पी. योजना 09.08.99 से लागू है किन्तु वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा को श्री ओम प्रकाश सिंह, कनीय अभियंता का सेवापुस्त मूल दो भाग के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 7256 राँची, दिनांक :- 3-12-13

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / विविध-07-31 / 13..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति एवं ए.सी.पी. योजना के तहत औपबधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

प्रथम कालबद्ध एवं प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० सम्पुष्टि हेतु कनीय अभियंताओं की सूची

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम आई.डी. कोड / जन्म तिथि / वर्तमान पदस्थापन /	नियुक्ति की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की देय तिथि	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 10000- 15200 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3		4	5	6
1	श्री मोद नारायण मंडल जे 4366 / ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल सं.-2, गढ़वा / 31.12.49	13.12.76	13.12.86	09.8.1999	13.12.2000	

2. इन कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. ए०सी०पी० योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू, डालटेनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल संख्या-2, गढ़वा को श्री मोद नारायण मंडल, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता का सेवापुस्त तीन भाग मूल के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

7257

राँची, दिनांक :-

3-12-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

28/12/13